बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ९ अक्तूबर १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

विशेषाधिकार समिति के नये सभापति के नाम की घोषणा।

ANNOUNCEMENT OF THE NAME OF THE NEW CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES.

अध्यक्ष—मैंने बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २१० (१) के अधीन एक विशेषाधिकार समिति बनायी है। इसके सभापति भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री विनोदानन्द झा थे। अब उनके स्थान पर नये मुख्य मंत्री, श्री कृष्णवल्लभ सहाय इस समिति के सभापति रहेंगे। इस नयी समिति के और सदस्य पूर्ववत् रहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव :

Adjournment Motion :

गर्दनीबाग, पटना स्थित बाबू बाजार में एक गड्ढे में डूब जाने के कारण एक बच्चे की मृत्यु।

DEATH OF A BOY CAUSED BY DROWNING IN THE DITCH IN BABU BAZAR IN GARDANIBAGH AREA.

अध्यक्ष—मेरे पास श्री रमेश झा, सदस्य, विधान-सभा का एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना आयी है। यह एक गड्ढे में एक लड़के की मृत्यु के संबंध में है। गर्दनीबाग में यह घटना हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार किया जाय?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सरकारी नौकर इन्वौलव्ड नहीं है। लड़के की मृत्यु के कारण मुझे भी खेद है।

श्री सुशील कुमार बागे—माननीय सदस्य को जो शंका है कि गजटेड अफसर नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है। बाहर के अफसर रहेंगे और चुनाव अच्छी तरह सम्पन्न कराया जायगा। माननीय सदस्यों की यह भी शंका निर्मूल है कि २६ जनवरी और १५ अगस्त १९६४ तक यह कानून लागू नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य के चार जिलों में ५८५ ग्राम पंचायतों में २६ जनवरी तक तथा १०,५६१ ग्राम पंचायत जो सारे राज्य के हैं उनमें १५ अगस्त तक यह लागू हो जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह बिल स्वीकृत हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार पंचायत राज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तारांकित प्रश्न संख्या २६७ पर आधे घंटे का वाद-विवाद।

HALF AN HOUR DEBATE ON STARRED QUESTION NO 267.

*श्री तेज नारायण झा—उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं वह १६ सितम्बर १९६३ को पूछे गये हमारे प्रश्न संख्या २६७ के असंतोषजनक उत्तर से संबंधित है। दरभंगा जिला में मधवापुर थाने के करहुंआ गांव के एक किसान की दर्दभरी कहानी से इसका संबंध है और मैं चाहूंगा कि उसके खिलाफ जो दर्दनाक अत्याचार हुए हैं उसके ऊपर गंभीरता से विचार कर सरकार न्याय कराने की कोशिश करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, करहुंआ गांव में सर्वे खतिआन में जो हमारे पास मौजूद है श्री पांचु ठाकुर और उनकी भौजाई श्रीमती तुरंतमणि ठकुराइन के नाम से वहिस्से बराबर खाता नम्बर १५४ में १४ बीघा १८ कट्ठा १८ धूर जमीन दर्ज है, जो तौजी नंबर ६३६७ में पड़ती है। उस जमीन में खेसरा नंबर ८१७ और ८२५ जिनका रकवा ८ बीघा १३ कट्ठा १८ धूर है, बटाई निस्फ है। उसमें ५ बीघा, १७ कट्ठा २ धूर काश्त है और ७ कट्ठा १८ धूर बे-लगान है। उक्त जमीन में ९ बीघा १२ कट्ठा ५ धूर बटाई जमीन सहित हरलाखी थाने के खिरहर के जमींदार ने १९०३ में एक लादावीनामा कराया जिसपर कहा जाता है कि पांचु ठाकुर का दस्तखत है। उपाध्यक्ष महोदय, उस लादावीनामा की नकल हमारे पास है। उस लादावीनामा पर आके की मालकिन श्रीमती तुरंतमणि ठाकुराइन का दस्तखत नहीं है जो १९०७ ई० में मर गई। इसलिये यह दस्तावेज नाजायाज है। आधा जमीन पर ठकुराइन का हक कोई नहीं हटा सकता है। अगर आप सबूत चाहते हैं तो मैं सरकार के सामने में अच्छी तरह साबित कर सकता हूं कि पांचु ठाकुर दस्तखत करना बिलकुल नहीं जानते थे। तब उस लादावीनामा पर उनका दस्तखत होना जाली है, सिर्फ फरेब है। इस संबंध में मैं श्री पांचु ठाकुर द्वारा लिखी गयी सात दस्तावेजें जो मेरे साथ हैं मैं उपस्थित करने को तैयार हूं। एक दस्तावेज १३ फरवरी १८९५ ई० को श्री पांचु ठाकुर ने लिखा जिसपर उनका अंगुठे का निसान है लेकिन उनके बदले में श्री पवन ठाकुर ने दस्तखत किया है जो पांच मन धान मनखप की कबुलियत है। ११ अगस्त १९१६ ई० को १३२ रुपये में खेसरा नम्बर ५५, ८१९, ८४० रकबा १ बीघा २ कट्ठा

सोभरीली के पराउ सिंह के नाम तमस्सुक मखफुला, सूदभरना उन्होंने बाकलम अशर्फी ठाकुर को लिखा। २ मई १६१६ ई० को १८६ रुपये में १ बीघा ८ कट्ठा १७ धूर जमीन खेसरा नम्बर ५५, ८२१, ८४० तमस्सुक मकफुला तिहबारा के श्री गिरवर सिंह के नाम बाकलम अशर्फी ठाकुर को लिखा। ५ अगस्त १६२० ई० को २६ रुपये में ३ कट्ठा जमीन खेसरा नम्बर ३६० तमसुक मकफुला करहुंआ के जुमन मियां के नाम बाकलम बासुदेव पान्डे को लिखा। ६ जून १६२१ ई० को १ बीघा १५ कट्ठा ६ धूर खेसरा नम्बर ८२३, ८२७ १०० रु० में तमसूक मकफुला खिरहर के रामचरित्र चौधरी के नाम बाकलम अब्दुल रहमान को लिखा। १० नवम्बर १६२२ को पांच कट्ठा जमीन खेसरा नंबर ५६४,५० रुपये में तमसूक मकफुला करहुंआ के जुमन मिया के नाम बाकलम रहीम बक्श को लिखा। २६ जनवरी १६२३ ई० को एक कट्ठा जमीन खेसरा नम्बर १८, १६ ३३ रुपये में केवाला चोरउत के श्री जलधारी राय के नाम बाकलम निरस ठाकुर को लिखा। इस तरह १८६५ ई० से लेकर १६२३ ई० तक की दस्तावेजें जो पांचु ठाकुर लिखी है साबित करती है कि वह खुद लिखना नहीं जानते थे और लादावीनामा पर उनका दस्तखत बोगस है। दूसरी बात जो महत्त्वपूर्ण है वह यह है कि पूरी जमीन ६ बीघा १२ कट्ठा ५ धूर की मालियत उस लादावीनामे में सिर्फ ६७ रुपये में दी गयी है। जो कीमत न उस समय थी और न आज है। यह कीमत विश्वास के बाहर की बात है और लादावीनामे को जाली सावित करती है। उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह जाली लादावीनामा १६०३ में लिखाया गया, फिर भी ४०-४५ साल तक इसकी कोई चर्चा मालिक नहीं की। पांचु ठाकुर के मर जाने के बाद उन्होंने जमीन पर झंझट करना शुरू किया और मुकदमेबाजी शुरू हुई। फिर भी पांचु ठाकुर की संतान निरस ठाकुर और उनके बेटे जौबछ ठाकुर और रामश्रेष्ठ ठाकुर जमीन पर से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसी हालत में उनको जमीन से बेदखल करने के लिये मालिक ने षड्यंत्र शुरू किया। इस बटाई जमीन को मिलाकर और दूसरी जमीन के साथ करीब १७ बीघे जमीन सिर्फ सोलह हजार रुपये में अवारी गांव के श्री रामजी झा वगैरह बारह आदमी के नाम फर्जी केवाला लिखा। इस बात से साबित होता है कि उस जमीन की कीमत बहुत कम चढ़ाई गई है। इसे साबित करने के लिये हमारे साथ तीन दस्तावेजें हैं जो प्रस्तुत करने को मैं तैयार हूं। एक दस्तावेज ३ अगस्त १६५३ की है जिसके द्वारा खेसरा नम्बर १०२२, चार कट्ठा पांच सौ रुपये में केवाला हुआ है करीब पचीस सौ रुपये बीघा। २७ जून १६६० को बटाईवाली तौजी की जमीन तीन कट्ठा अठारह धूर खेसरा नम्बर ८२२ पांच सौ रुपये में केवाला हुआ करीब २६ सौ रुपये बीघा। उसी तौजी की दूसरी जमीन खेसरा नम्बर २३६, २३७, ४७२ रकवा ११ कट्ठा ५ धूर १६६४ रुपये में करीब तीन हजार रुपये बीघा की दर से २८ मई १६६२ को केवाला हुआ। यह साबित करती है कि ३ हजार, ढाई हजार रुपये बीघे की जमीन सिर्फ आठ सौ, नौ सौ रुपये बीघे की दर से लिखाना या केवाला होना बिलकुल नाजायज है। उपाध्यक्ष महोदय, जमींदार का षड्यंत्र जो इस गरीब किसान के साथ हुआ है वह इस बात से बिलकुल साबित होता है कि जब १६५८-५६ में फील्ड बुझारत चल रहा था तो उस समय स्थानीय कर्मचारी ने श्री जीवछ ठाकुर और रामश्रेष्ठ ठाकुर, पेसरान निरस ठाकुर के नाम से ६ बीघा १२ कट्ठा ५ धूर बटाई जमीन की इंट्री फील्ड बुझारत रजिस्टर में की। जमीदार की तरफ से एतराज करने पर उसकी इन्क्वायरी बी० डी० ओ० ने सर्किल इंसपेक्टर को दी। सर्किल इंसपेक्टर और बी० डी० ओ० पर तरह-तरह का दवाब पड़ा जिसके कारण उस इंट्री को काटकर दूसरा इंट्री बनाया गया है। हम माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करेंगे कि जवाब चाहे वह जो दे दें, लेकिन उस फील्ड बुझारत की रजिस्टर मंगाकर खुद तहकीकात करें और देखें

कि उक्त गरीब किसान के साथ किस तरह का अन्याय हुआ है। २९ जून १९५८ ई० को जो रिपोर्ट सर्किल इंसपेक्टर ने बी० डी० ओ० को दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जीवछ ठाकुर इस जमीन का पैदावार बांटकर मालिक को जो दे देते थे और उसके बदले में मालिक के पटवारी के द्वारा जो पुर्जी दिये गये हैं उससे यह प्रतीत होता है कि जीवछ ठाकुर पहले यह जमीन बटाई करते थे और आधी रकम बांटकर मालिक को दे दिया करते थे। पूर्जी १३५६, १३५७ से १३६० साल तक की जीवछ ठाकुर के पास में है।

फिर सर्किल इन्सपेक्टर ने लिखा है कि जीवछ ठाकुर बहुत ही गरीब आदमी हैं, उनके पास इतनी सम्पत्ति नहीं है कि दोनों शाम अपने बालबच्चों को भर पेट भोजन दे सकें तब फिर अपने हक का फैसला कराने की शक्ति कहां है। इनके पास कुछ भी नहीं हैं अतः किसी भी हालत में सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस दे सकते। यही नहीं अगर ये मधुबनी जायेंगे तो खाने पीने का इन्तजाम भी ये नहीं कर सकेंगे। इनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। ऐसी हालत में सरकार इनकी जमीन लौटाने की मदद करे तो उचित ही होगा। उन्होंने फिर लिखा है कि तीन-चार वर्षों से जीवछ ठाकुर जमीन से बेदखल कर दिये गये हैं। ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनके साथ न्याय कर पायेगी लेकिन बी० डी० ओ० ने इस रिपोर्ट को कलक्टर तक नहीं बढ़ाया जो उनको उन जमीन पर दखल दिलाते बल्कि १,२०० रुपये की बारह नम्बरी लेकर उक्त गरीब किसान के साथ उन्होंने अन्याय किया। मैं अभी भी समझता हूं कि उस गरीब किसान के साथ अगर सरकार थोड़ा-सा भी दर्द दिखलायेगी तो उसके साथ न्याय हो सकता है। १९५३ ई० की फरवरी के बाद जिन बटाई जमीनों से बटाईदार बेदखल किया गया है बी० टी० ऐक्ट के संशोधन के मुताबिक उन जमीनों पर कलक्टर बटाईदार को कब्जा दिला सकता है क्योंकि उनकी बेदखली सी० आई० की रिपोर्ट के मुताबिक भी १९५५ ई० में हुई। इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से और खासकर राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे रेस्टोरेशन ऑफ पोजिशन कराने के लिये तमाम कागजातों का अध्ययन करने के बाद कलक्टर, दरभंगा को यथाशीघ्र आदेश दें कि उनके नाम से रेंट फिक्सेसेशन कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को लंबी मारने के ख्याल से बहस नहीं कर रहा हूं बल्कि उम्मीद करता हूं कि विषय की गंभीरता को समझ कर सरकार खुद इस पर उचित कार्रवाई करेगी और इस तरह न्याय की भीख मांगते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवेन्द्र झा—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आधे घंटे के लिये बहस का समय

आपने स्वीकार किया है यह वास्तव में एक किसान के जीवन-मरण का सवाल है। हमारे मुख्य मंत्री ने अपना कार्य्यभार ग्रहण करते समय कहा था कि मैन टू मैन से जस्टिस करेंगे और यह एक मिसाल है, एक्सपेरिमेंट हैं उनके सामने कि इस गरीब आदमी के साथ यह सरकार क्या इन्साफ करती है। हमारे मित्र श्री तेजनारायण झा ने कहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि पांचू ठाकुर पढ़े-लिखे आदमी नहीं थे और १९०३ के बाद जितने भी दस्तावेज लिखे गये उसमें उनका हस्ताक्षर नहीं है। इसकी जांच नहीं की गई। जमीन्दार उस जमीन को बेदखल कर रहे हैं जब वे पढ़े-लिखे नहीं थे फिर उनका दस्तखत कैसे हुआ, सरकार ने इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। यह जमीन जमीन्दार के कब्जे में आ गई तो जैसा कि सर्किल अफसर ने लिखा है, उसके मुताबिक जिस दिन इन्क्वायरी की, उसके तीन-चार वर्ष पहले तक

यह जमीन जीवछ ठाकुर के कब्जे में थी तब यह बिल्कुल साबित हो गया कि जीवछ ठाकुर पांचू ठाकुर के पोता हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि पांचू ठाकुर की भौचजाई श्रीमती तुरंतमणि ठकुराइन थी। उनको कोई औलाद नहीं था। पांचू ठाकुर के लड़के नौरस ठाकुर और उनके लड़के जीवछ ठाकुर थे और उनको जमीन मिलनी चाहिये थी। सिर्फ ९७ रुपये में १८ बीघा जमीन ले लिया गया। जमीन्दारी प्रथा इसलिये खत्म कर दी गई क्योंकि जमीन्दार लोग जुल्म करते थे और हमारे मुख्य मंत्री ने जमीन्दारी प्रथा को खत्म कर दिया। ये जमीन्दार किसानों पर तरह-तरह के जुल्म करते थे और जमीन ले लिया करते थे। सिर्फ ९७ रुपये में १८ बीघा जमीन ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर में जमीन की कीमत कम होती है लेकिन उसको भी आप इतने सस्ते दाम पर नहीं ले सकते हैं यह जमीन उपजाऊ जमीन है और इस जमीन को ९७ रुपये में नहीं ले लेना चाहिये था। इनक्वायरींग औफिसर ने इसका इन्क्वायरी नहीं किया। इन सारी चीजों को देखने से साफ जाहिर होता है कि बी० डी० ओ० साहेब जमीन्दार से मिले हुए थे और जो अत्याचार उस पांचू ठाकुर के परिवार के साथ किया गया है उसमें बी० डी० ओ० साहेब का हाथ था और वे शामिल थे। पांचू ठाकुर के परिवार के लोगों को उस जमीन से बेदखल किया गया है। उस जमीन का रेन्ट फीक्स होना चाहिये और पांचू ठाकुर के परिवार के साथ जानबूझ कर अन्याय किया गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्व मंत्री इन सारी बातों की तहकीकात करेंगे और जमीन पर पांचू ठाकुर के परिवार के लोगों का कब्जा देंगे और दफा ४० के अनुसार रेन्ट तय करेंगे।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें आप के ध्यान में लाना चाहता हूं। १९४७-४८ में एक बकास्त बोर्ड बनी थी जिसमें दरभंगा जिला के कांग्रेस कमिटी के जो मंत्री थे वे भी उस बोर्ड के सदस्य थे जो आज विधान परिषद के सदस्य हैं। समय नही है इसलिये मैं उनका रिपोर्ट, जो ७ या ८ पन्ने में है, नहीं पढ़ सकता हूं। उन्होंने कहा है कि बोर्ड के जो चेयरमैन थे वे उनके रिश्तेदार थे और वे जमीन पर जाकर इन्क्वायरी नहीं करना चाहते थे। बटाई जमीन का अगर कागज रहता तो झगड़ा नहीं होता। बटाई आन्दोलन में सिर्फ हमारे ही पार्टी के लोग नहीं शामिल हुए हैं बल्कि श्री बाबू भी इस में भाग लिये हैं। १९४७-४८ में जो बटाई आन्दोलन हुआ उसमें हमारे यहां के जो संसद के सदस्य हैं वे भी गिरफ्तार हुए थे और जेल गये थे। जिन लोगों की जमीन बटाई आन्दोलन में ली जाती है उसके लिये गांव के आदमी गवाही देते हैं। १९४७-४८ में जब बोर्ड बना था तो उसके चेयरमैन ने वहां जाने से इन्कार किया था। लेकिन कांग्रेस कमिटी के चेयरमैन के कहने पर उन्होंने वहां जाने का कष्ट किया था।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ११ गवाह गांव के थे और जमींदार की तरफ से जो गवाह थे वे उनके नौकर, बराहिल, मैनेजर थे या दूसरे-दूसरे गांवों से गवाही देने के लिये लोग आये थे। जमींदार ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वहां उसका कामत नहीं है, न उसका वहां कोई घर है और उस गांव से उसको एक भी मजदूर नहीं मिलता है। इसलिये दूसरे-दूसरे गांव से मजदूर, हल-बैल लेकर वह अपना काम लेते हैं और वहां से १० मील की दूरी पर, दूसरे थाने में उसका घर है। श्री जानकी बाबू ने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है कि चेयरमैन उनके रिश्तेदार हैं।

वे कम्युनिस्ट पार्टी, पी० एस० पी० आदि पार्टी के आदमी नहीं हैं बल्कि वे कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं। यह उनकी रिपोर्ट है। प्रजातंत्र में जनता के हित के लिये काम होना चाहिये और उसके अनुरुप कानून बनाना चाहिये जिसमें गरीब लोग और उनके बच्चे दाने-दाने के लिये दूसरे के आश्रित न रहें और कानून की चक्कर में उनको नहीं फंसाया जाय।

*श्री बीरचंद पटेल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर जब हुआ था उस समय मैं

राजस्व मंत्री नहीं था, इसलिये मुझे कुछ कठिनाइयां हैं। मैंने प्रश्नोत्तर देखा है और जितने कागजात इस संबंध में उपलब्ध हुए हैं उसे भी देखा है। इसमें मुख्य बात यह है कि यह जमीन जिन लोगों के नाम से दर्ज है, १५ बीघा जमीन पांचू ठाकुर की भौजाई के नाम से है, १९०३ में लादावीनामा के जरिये उन्होंने अपना हक जमींदार को सरेन्डर कर दिया था। इसमें एक बात गौर करने की यह है कि वह लादावीनामा रजिस्टर्ड हैं या अन-रजिस्टर्ड। हमारे दोस्त ने यह कहा है कि रजिस्टर्ड सेरेन्डरनामा है लेकिन उसमें दस्तखत जाली है। दूसरी बात इसमें है कि १९५८ में रामजी चौधरी आदि के नाम से केवाला है जिसका जरसम्मन १६ हजार रु० बताया गया है। जहां तक १९०३ से आजतक का कागजात का सवाल है अगर उसे मान लिया जाय तो भूतपूर्व जमींदार का कानूनन केस मजबूत मालूम होता है। लेकिन हमारे मित्र श्री तेजनारायण झा ने यह दावा किया है कि लादावीनामा पर जाली दस्तखत है।

अगर सेरेन्डरनामा पर दस्तखत है तब मेरी ताकत और किसी भी सरकार की ताकत के बाहर की यह बात है कि यहां से यह कह दे कि वह दस्तखत जाली है और उसका कोई कानूनी असर नहीं पड़ेगा। यह कोर्ट की चीज है और सिविल कोर्ट पर जाली कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा कोई एक्सक्युटिव अफसर यहां से कह दे कि लादावीनामा जाली है तो इसका कोई असर जमींदार पर भी नहीं पड़ सकता है क्योंकि यह मामला कोर्ट का है। इसी तरह से यह भी यहां से कहने से कि केवाला फर्जी है तो उसका भी कोई कानूनी असर जमींन्दार पर नहीं पड़ सकता है और वह अपना दावा उसी बुनियाद पर कर सकता है।

श्री तेजनारायण झा—१९५५ तक फिजिकल पोजिशन रैयत का था और सर्किल

इन्सपेक्टर की रिपोर्ट में यह बात है तब तो रिस्टोरेशन हो जाना चाहिये।

श्री बीरचन्द पटेल—मैं यह बात कह रहा हूं कि मैं वकील रह चुका हूं और हजारों

केस मुझे देखने के लिये मिला है कि .गजी सबूत जमींदार के पक्ष में रहने पर न्याय रैयत के पक्ष में गया है क्योंकि जस्टिस तो सचाई पर होता है। अगर माननीय सदस्य जैसा कहते हैं कि १९५५ तक फिजिकल पोजिशन रैयत का था तो उनके पास इसका जितना सबूत हो उसे पेश करें और इसमें न्याय दिलाने की मैं कोशिश करूंगा, यही आश्वासन दे सकता हूं। मामला १९५५ का है और बहुत पुराना है और मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जहां तक न्याय दिलाने की बात है उसकी कोशिश मैं करूंगा। इतना कह कर अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभा वृहस्पतिवार तिथि १० अक्तूबर १९६३ के ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

यह जमीन जीवछ ठाकुर के कब्जे में थी तब यह विल्कुल साबित हो गया कि जीवछ ठाकुर पांचू ठाकुर के पोता हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि पांचू ठाकुर की भौचजाई श्रीमती तुरंतमणि ठकुराइन थी। उनको कोई औलाद नहीं था। पांचू ठाकुर के लड़के नोरस ठाकुर और उनके लड़के जीवछ ठाकुर थे और उनको जमीन मिलनी चाहिये थी। सिर्फ ९७ रुपये में १८ बीघा जमीन ले लिया गया। जमीन्दारी प्रथा इसलिये खत्म कर दी गई क्योंकि जमीन्दार लोग जुल्म करते थे और हमारे मुख्य मंत्री ने जमीन्दारी प्रथा को खत्म कर दिया। ये जमीन्दार किसानों पर तरह-तरह के जुल्म करते थे और जमीन ले लिया करते थे। सिर्फ ९७ रुपये में १८ बीघा जमीन ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर में जमीन की कीमत कम होती है लेकिन उसको भी आप इतने सस्ते दाम पर नहीं ले सकते हैं यह जमीन उपजाऊ जमीन है और इस जमीन को ९७ रुपये में नहीं ले लेना चाहिये था। इनक्वायरींग ओफिसर ने इसका इन्क्वायरी नहीं किया। इन सारी चीजों को देखने से साफ जाहिर होता है कि बी० डी० ओ० साहेब जमीन्दार से मिले हुए थे और जो अत्याचार उस पांचू ठाकुर के परिवार के साथ किया गया है उसमें बी० डी० ओ० साहेब का हाथ था और वे शामिल थे। पांचू ठाकुर के परिवार के लोगों को उस जमीन से बेदखल किया गया है। उस जमीन का रेन्ट फीक्स होना चाहिये और पांचू ठाकुर के परिवार के साथ जानबूझ कर अन्याय किया गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे राजस्व मंत्री इन सारी बातों की तहकीकात करेंगे और जमीन पर पांचू ठाकुर के परिवार के लोगों का कब्जा देंगे और दफा ४० के अनुसार रेन्ट तय करेंगे।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बातें आप के ध्यान में लाना चाहता हूं। १९४७-४८ में एक बकास्त बोर्ड बनी थी जिसमें दरभंगा जिला के कांग्रेस कमिटी के जो मंत्री थे वे भी उस बोर्ड के सदस्य थे जो आज विधान परिषद के सदस्य हैं। समय नही है इसलिये मैं उनका रिपोर्ट, जो ७ या ८ पन्ने में है, नहीं पढ़ सकता हूं। उन्होंने कहा है कि बोर्ड के जो चेयरमैन थे वे उनके रिश्तेदार थे और वे जमीन पर जाकर इन्क्वायरी नहीं करना चाहते थे। बटाई जमीन का अगर कागज रहता तो झगड़ा नहीं होता। बटाई आन्दोलन में सिर्फ हमारे ही पार्टी के लोग नहीं शामिल हुए हैं बल्कि श्री बाबू भी इस में भाग लिये हैं। १९४७-४८ में जो बटाई आन्दोलन हुआ उसमें हमारे यहां के जो संसद के सदस्य हैं वे भी गिरफ्तार हुए थे और जेल गये थे। जिन लोगों की जमीन बटाई आन्दोलन में ली जाती है उसके लिये गांव के आदमी गवाही देते हैं। १९४७-४८ में जब बोर्ड बना था तो उसके चेयरमैन ने वहां जाने से इन्कार किया था। लेकिन कांग्रेस कमिटी के चेयरमैन के कहने पर उन्होंने वहां जाने का कष्ट किया था।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ११ गवाह गांव के थे और जमींदार की तरफ से जो गवाह थे वे उनके नौकर, बराहिल, मैनेजर थे या दूसरे-दूसरे गांवों से गवाही देने के लिये लोग आये थे। जमींदार ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वहां उसका कामत नहीं है, न उसका वहां कोई घर है और उस गांव से उसको एक भी मजदूर नहीं मिलता है। इसलिये दूसरे-दूसरे गांव से मजदूर, हल-बैल लेकर वह अपना काम लेते हैं और वहां से १० मील की दूरी पर, दूसरे थाने में उसका घर है। श्री जानकी बाबू ने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है कि चेयरमैन उनके रिश्तेदार हैं।

वे कम्युनिस्ट पार्टी, पी० एस० पी० आदि पार्टी के आदमी नहीं हैं बल्कि वे कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी हैं। यह उनकी रिपोर्ट है। प्रजातंत्र में जनता के हित के लिये काम होना चाहिये और उसके अनुरुप कानून बनाना चाहिये जिसमें गरीब लोग और उनके बच्चे दाने-दाने के लिये दूसरे के आश्रित न रहें और कानून की चक्कर में उनको नहीं फंसाया जाय।

*श्री वीरचंद पटेल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर जब हुआ था उस समय मैं

राजस्व मंत्री नहीं था, इसलिये मुझे कुछ कठिनाइयां हैं। मैंने प्रश्नोत्तर देखा है और जितने कागजात इस संबंध में उपलब्ध हुए हैं उसे भी देखा है। इसमें मुख्य बात यह है कि यह जमीन जिन लोगों के नाम से दर्ज है, १५ बीघा जमीन पांचू ठाकुर की भौजाई के नाम से है, १९०३ में लादावीनामा के जरिये उन्होंने अपना हक जमींदार को सरेन्डर कर दिया था। इसमें एक बात गौर करने की यह है कि वह लादावीनामा रजिस्टर्ड हैं या अन-रजिस्टर्ड। हमारे दोस्त ने यह कहा है कि रजिस्टर्ड सेरेन्डरनामा है लेकिन उसमें दस्तखत जाली है। दूसरी बात इसमें है कि १९५८ में रामजी चौधरी आदि के नाम से केवाला है जिसका जरसम्मन १६ हजार रु० बताया गया है। जहां तक १९०३ से आजतक का कागजात का सवाल है अगर उसे मान लिया जाय तो भूतपूर्व जमींदार का कानूनन केस मजबूत मालूम होता है। लेकिन हमारे मित्र श्री तेजनारायण झा ने यह दावा किया है कि लादावीनामा पर जाली दस्तखत है।

अगर सेरेन्डरनामा पर दस्तखत है तब मेरी ताकत और किसी भी सरकार की ताकत के बाहर की यह बात है कि यहां से यह कह दे कि वह दस्तखत जाली है और उसका कोई कानूनी असर नहीं पड़ेगा। यह कोर्ट की चीज है और सिविल कोर्ट पर जाली कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा कोई एक्सक्युटिव अफसर यहां से कह दे कि लादावीनामा जाली है तो इसका कोई असर जमींदार पर भी नहीं पड़ सकता है क्योंकि यह मामला कोर्ट का है। इसी तरह से यह भी यहां से कहने से कि केवाला फर्जी है तो उसका भी कोई कानूनी असर जमींन्दार पर नहीं पड़ सकता है और वह अपना दावा उसी बुनियाद पर कर सकता है।

श्री तेजनारायण झा—१९५५ तक फिजिकल पोजिशन रैयत का था और सर्किल

इन्सपेक्टर की रिपोर्ट में यह बात है तब तो रिस्टोरेशन हो जाना चाहिये।

श्री बीरचन्द पटेल—मैं यह बात कह रहा हूं कि मैं वकील रह चुका हूं और हजारों

केस मुझे देखने के लिये मिला है कि कागजी सबूत जमींदार के पक्ष में रहने पर न्याय रैयत के पक्ष में गया है क्योंकि जस्टिस तो सचाई पर होता है। अगर माननीय सदस्य जैसा कहते हैं कि १९५५ तक फिजिकल पोजिशन रैयत का था तो उनके पास इसका जितना सबूत हो उसे पेश करें और इसमें न्याय दिलाने की मैं कोशिश करूंगा, यही आश्वासन दे सकता हूं। मामला १९५५ का है और बहुत पुराना है और मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जहां तक न्याय दिलाने की बात है उसकी कोशिश मैं करूंगा। इतना कह कर अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभा वृहस्पतिवार तिथि १० अक्तूबर १९६३ के ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।